प्रारूप-घ (संलग्नक-3)
Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/9119/LCK/LUCKNOW/550/CFO

दिनांक:13-07-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **Oro Constructions Pvt Ltd** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **652, Local Shopping, Oro City,,Jankipuram Extension, Vill- Madiaon,,Lucknow** तहसील - **Bakshi Ka Talab** जिसमें तलों की संख्या **3** एवं बेसमेन्ट की संख्या **0** है जिसकी ऊँचाई **09.90 mt.** तथा प्लाट एरिया **1037.70 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **Oro Constructions Pvt Ltd** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Mercantile** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन मे सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |"

Note : (1) Terrace tank of capacity 25000 Litre is required as per norms. (2) Parking is not allowed in motorable setback for Fire Fighting vehicle.

निर्गत किये जाने का दिनांकः **23-07-2019**

स्थान: **LUCKNOW**

हस्ताक्षर-
निर्गमन अधिकारी-
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(VIJAY KUMAR SINGH)
[EBB963F5E0AA390D836964D18977F9A547AE8F2B]
23-07-2019

जल कल विभाग, नगर निगम

ऐशबाग, लखनऊ–226004

प्रेषक:

सहायक अभियन्ता
जलकल विभाग, नगर निगम,
लखनऊ।

संख्या: —

दिनांक: —

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता–मानचित्र सेल टी.जी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय:
अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 187/AA/MC-P-16 दिनांक 06.09.2016 द्वारा प्रेषित प्रस्तावित मानचित्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि मेसर्स ओरो कांन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, खसरा संख्या 610, 611, 607, 606, 605, 601, 593, 586, 587, 588स, 592, 641, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 627, 652 ग्राम–मड़ियाँव, तहसील–बी.के.टी., लखनऊ पर ले–आउट प्लान की अनापत्ति के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त क्षेत्र जलकल विभाग की पाइप लाइन एवं सीवर लाइन की सीमा क्षेत्र से बाहर है। इनके द्वारा पाइप लाइन व सीवर लाइन की व्यवस्था स्वतः की जायेगी। इस सम्बन्ध में जलकल विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अतः मेसर्स ओरो कांन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, खसरा संख्या 610, 611, 607, 606, 605, 601, 593, 586, 587, 588स, 592, 641, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 627, 652 ग्राम–मड़ियाँव, तहसील–बी.के.टी. लखनऊ पर जलकल विभाग लखनऊ द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

भवदीय,

सहायक अभियन्ता
जलकल विभाग,
नगर निगम, लखनऊ

प0सं0: 49/AE-II/LJS/016 दि0: 28/9/016

प्रतिलिपि: मेसर्स ओरो कांन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, खसरा संख्या 610, 611, 607, 606, 605, 601, 593, 586, 587, 588स, 592, 641, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 627, 652 ग्राम–मड़ियाँव, तहसील–बी.के. टी., लखनऊ।

सहायक अभियन्ता
जलकल विभाग,

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
मुख्य वास्तुविद् नगर निगम,लखनऊ। संख्या.... 19/मु0वा/17 दिनांक... 29/4/17	सहायक अभियन्ता–मानचित्र सेल (T.G) लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः प्रस्तुत तलपट भवन मानचित्र मेसर्स औरा कान्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या 610, 611, 607, 606, 605, 601, 593, 586, 587, 588स, 592, 641, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 627, 652 ग्राम मडियांव तहसील बक्शी का तालाब लखनऊ के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

कृपया प्रस्तुत तलपट भवन मानचित्र मेसर्स औरा कान्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या 610, 611, 607, 606, 605, 601, 593, 586, 587, 588स, 592, 641, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 627, 652, ग्राम मडियांव तहसील बक्शी का तालाब लखनऊ। आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 187/अअ/मा0सं0 –16 दिनांक 06.09.16 नगर निगम की अनापत्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार नगर निगम की आख्या दिनांक 27.01.17 के अनुसार प्रश्नगत ले आउट प्लान में प्रदर्शित भूमि के मध्य में दो गाटा संख्या 628, 644, चकमार्ग दर्ज है जिनको ले आउट प्लान में यथास्थान छोड़ा गया है, बल्कि उक्त चकमार्गों को अपनी क्रय की गई भूमि से चौड़ा कर दिया गया है जो जनसामान्य के आवागमन हेतु उपलब्ध है। इस हेतु सम्पत्ति अनुभाग को अनापत्ति दिये जाने में कोई आपत्ति नही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त तलपट मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त, स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुरूप विकास/निर्माण कर नियमानुसार पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त कर टाउनशिप का हस्तान्तरण नगर निगम लखनऊ को किया जाना आवश्यक होगा, तदानुक्रम में प्रत्येक पृथक–पृथक भूखण्डों पर निर्मित भवनों के सापेक्ष नियमानुसार भवन कर एवं अन्य शुल्क नगर निगम लखनऊ को देय होगा ।

अत उपरोक्त के क्रम में तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने में नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ

प्रतिलिपि–

1. मेसर्स औरा कान्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 , ग्राम मडियांव तहसील बक्शी का तालाब लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण भवन, टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

H10631
संदर्भ संख्या: /सी–5/एन0ओ0सी0–923/लखनऊ/2017/7. दिनाँक: 14-10-17

सेवा में,   वैधता अवधि 05 वर्ष

मेसर्स ओरो सिटी,
ग्राम–मडियाँव, (जानकीपुरम एक्सटेंशन), तहसील–बक्शी का तालाब,
लखनऊ।

पत्राचार पता: मेसर्स ओरो कन्सट्रक्शनस् प्रा0लि0, 503, 5वाँ तल, एल्डिको कार्पोरेट टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), 1981 यथासंशोधित की धारा–21/22 के प्राविधानों के अन्तर्गत नई परियोजना की स्थापना हेतु स्थापनार्थ सहमति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक–18.6.2017 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र एवं समस्त प्रपत्रों तथा क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ की आख्या दिनाँक 20.09.2017 तथा 11.10.2017 पर सम्यक विचारोपरांत सक्षम अधिकारी की अनुमति से पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तों के साथ सशर्त स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी की जाती है।

स्थापनार्थ सहमति निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत की जा रही है :–

(क) **स्थल–** खसरा संख्या 610,611,607,605,601,593586,588ए,592,641,636,635,633,632,631,630,629,627,652 ग्राम–मडियाँव, (जानकीपुरम एक्सटेंशन), तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ।

(ख) उत्पादन– **केवल प्लाट डेवलेप्मेन्ट टाउनशिप हेतु।**
कुल प्लाट एरिया–101010 वर्ग मीटर पर **प्रस्तावित बिल्टअप एरिया** 59223.325 **वर्ग मीटर।**

(ग) **मुख्य कच्चा माल: कुल प्लाट एरिया–**101010 वर्ग मीटर।

(घ) **सीवेज उत्प्रवाह की मात्रा:** 421 के.एल.डी. जनित सीवेज को 500 के.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. में शुद्धिकरण किया जायेगा। शुद्धिकरण के पश्चात शत–प्रतिशत पुनः उपयोग।

(ङ.) **प्रयुक्त ईंधन:** शून्य।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2 उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3 विकासकर्ता द्वारा केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य किया जायेगा जिसका स्वामित्व/कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के पक्ष में है। भूखण्ड के जिन खसरा नं0 का स्वामित्व ग्राम समाज/नगर निगम की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नही द्वारा निर्माण व विकास कार्य नही किया जायेगा।

4 प्रस्तावित प्लाटिंग का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा।

5 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) केवल प्रस्तुत प्रस्ताव हेतु मान्य है किसी भी दशा में भवन निर्माण हेतु मान्य नही है।

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण **एस.टी.पी.** के निर्माण कॉय हेतु संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में **30.12.2017** तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

7. एस0टी0पी0 के चारों ओर गंधरोधी प्रजाति के वृक्षों का रोपण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. परियोजना के क्रियान्वयन से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस व अन्य अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- प्रस्तावित आवासीय कालोनी परिसर में भू–जल स्तर की माप हेतु पीजो मीटर की स्थापना की जाये तथा विश्लेषण आख्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रस्तुत की जाये।

11 परियोजना परिसर में उपयुक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी।

12 विकासकर्ता द्वारा भू–गर्भीय जल दोहन सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर अथॉरिटी की अनुमति से किया जायेगा।

13 विकासकर्ता द्वारा कन्सट्रक्शन एवं डीमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14 विकासकर्ता द्वारा परिसंकटमय व अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है।

16 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–एस.ओ. 3187(ई) दिनाँक 07.10.2016 के बिन्दु–6 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17 विकासकर्ता द्वारा समस्त वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त की जायेगी।

18 उपरोक्त शर्तों के अनुपालन हेतु **रू0 5.0 लाख** (रुपये पांच लाख मात्र) की बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में जिसकी वैधता 02 वर्ष की हो बोर्ड में 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी, अन्यथा यह एन.ओ.सी. रद्द कर दी जायेगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति निरस्त कर दी जायेगी। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि स्थापनार्थ सहमति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में **31.12.2017** तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा स्थापनार्थ सहमति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

(आशीष तिवारी) 14/10/17
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तद्दिनाँक :
प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्ता–5